(219)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/01064

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल (म0प्र0)

प्र.क.--

लाल मोहम्मद आत्मज स्व. श्री अहमद खां
आयु वयस्क निवासी--ग्राम--मालीखेड़ी भदभदा रोड
भोपाल .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

नूर मोहम्मद आत्मज स्व. अहमद खां
ग्राम--मालीखेड़ी भदभदा रोड, भोपाल .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक--8/8/17 द्वारा श्रीमान तहसीलदार तहसील हुजूर भोपला के प्र.क. 02/अ--13/2016--17 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कर रहा है ।

संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नूर मोहम्मद प्रतिप्राथी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 131 व 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत कर अपनी भूमि स्थित ग्राम मालीखेड़ी पर रूढ़िगत आवागमन के मार्ग पर बाधा उत्पन्न न करने एवं मार्ग उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया । उक्त आवेदन पत्र के साथ धारा 52 म.प्र. भू--राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अवरूद्ध मार्ग कृषि कार्य करने हेतु खोले जाने का निवेदन किया एवं तहसीलदार महोदय द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये दिनांक--8/8/17 को अपने आदेश में प्रतिप्रार्थी का धारा 52 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 को स्वीकार करते हुये प्रकरण के अंतिम निराकरण तक निगरानीकर्ता के स्वत्व व अधिपत्य की कृषि भूमि में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया जिससे असंतुष्ट व दुखित होकर निगरानीकर्ता यह निगरानी ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है ।

निगरानी के आधार

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानों एवं धारा 131 के प्रावधानों

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2018/1064

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-19	आवेदक अधिवक्ता श्री संजय नायक उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 29-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	